HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 3— HLA of 2025

THE SPORTS UNIVERSITY OF HARYANA (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Sports University of Haryana Act, 2022

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Sports University of Haryana (Amendment) Act, 2025. Short title.

2. In section 2 of the Sports University of Haryana Act, 2022 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 2 of Haryana Act 21 of 2022.

(i) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-

'(k) "Fund" means the fund of the University referred to in section 29;';

(ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

'(o) "outlying campus" means the campus of the University as may be established by it at any place within the State;'.

3. In sub-section (2) of section 3 of the principal Act,- Amendment of section 3 of Haryana Act 21 of 2022.

(i) for the sign ":" existing at the end, the sign "." shall be substituted; and

(ii) existing proviso shall be omitted.

4. For sub-section (2) of section 5 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 5 of Haryana Act 21 of 2022.

"(2) The University shall in exercise of its powers have jurisdiction over the whole State of Haryana.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Haryana Government has established Sports University of Haryana at Rai (Sonipat), vide the Sports University of Haryana, Act No. 21 of 2022. The University has started functioning at the Motilal Nehru School of Sports, Rai campus and several courses have started since the academic year 2023-24.

To get recognition and affiliation with the University Grants Commission (UGC), and for inclusion of university name in the list of universities under the University Grants Commission Act 1956, the applicant universities must abide by the UGC rules.

Various provision of the Sports University of Haryana, Act No. 21 of 2022, provide to establish campuses and study centers in other States, that violates the territorial jurisdiction policy of UGC which is applicable to the Universities established by States. A State University cannot operate beyond the State wherein it is established as the State Legislature has no authority over other States. This policy of UGC is guided by the observations of the Hon'ble Supreme Court in the case of Prof. Yashpal Vs State of Chhattisgarh (1995). An amendment to the Sports University of Haryana, Act No. 21 of 2022 is thus required to modify the provisions that are contrary to the territorial jurisdiction policy of the UGC.

Hence, the amendments need to be incorporated in the Act.

GAURAV GAUTAM,
Minister of State for Sports, Haryana

Chandigarh :
The 8th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 8th March, 2025, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE SPORTS UNIVERSITY OF HARYANA, ACT, No. 21 of 2022

Section	Extract	Heading
Section 2 clause (k)	(k) "Fund" means the Fund of the University referred to in section 30;	Definitions
Section 2 clause (o)	(o) "outlying campus" means the campus of the University as may be established by it at any place within or outside the State;	Definitions
Proviso of sub-section (2) of section 3	The headquarters of the University shall be at Rai in District Sonipat and it may establish or maintain outlaying campuses, colleges, regional centres and study centres at such other places in the State, as it may deem fit: Provided that the University may, with the prior approval of State Government, also establish outlaying campuses and study centres outside the State.	Establishment of University
sub-section (2) of section 5	The University shall in the exercise of its powers have jurisdiction over the whole State of Haryana and to the outlaying campuses and study centres outside the State.	Powers and functions of University

11702—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–3 एच०एल०ए०

हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2022 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

'(ट) "निधि" से अभिप्राय है, धारा 29 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की निधि;';

(ii) खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(ण) "दूरस्थ कैंपस" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का ऐसा कैंपस, जो इसके द्वारा राज्य में किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाए;'।

2022 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में,–

(i) अन्त में विद्यमान ":" चिह्न के स्थान पर, "।" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) विद्यमान परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

2022 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(2) विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण हरियाणा राज्य पर अधिकारिता रखेगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा खेल विश्वविद्यालय 2022 का अधिनियम संख्या 21 के तहत राई (सोनीपत) में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय ने मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय, राई परिसर में काम करना शुरू कर दिया है और शैक्षणिक वर्ष 2023–24 से कई पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता और संबद्धता प्राप्त करने के लिए, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालयों की सूची में विश्वविद्यालय का नाम शामिल करने के लिए, आवेदक विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नियमों का पालन करना होगा।

हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, 2022 का अधिनियम संख्या 21 के विभिन्न प्रावधान अन्य राज्यों में परिसर और अध्ययन केंद्र स्थापित करने का प्रावधान करते हैं, जो यूजीसी की क्षेत्रीय अधिकारिता नीति का उल्लंघन करता है जो राज्यों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों पर लागू होती है। एक राज्य विश्वविद्यालय उस राज्य से बाहर संचालित नहीं हो सकता है जिसमें वह स्थापित है क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास अन्य राज्यों में ऐसे केंद्र खोलने का कोई अधिकार नहीं है। यूजीसी की यह नीति प्रोफेसर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (1995) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों द्वारा निर्देशित है। इसलिए यूजीसी की क्षेत्रीय अधिकारिकता नीति के विपरीत प्रावधानों को संशोधित करने के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, 2022 का अधिनियम संख्या 21 में संशोधन की आवश्यकता है।

इसलिए, संशोधनों को अधिनियम में शामिल करने की आवश्यकता है।

गौरव गौतम,
खेल राज्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 मार्च, 2025

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 8 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय 2022 का अधिनियम संख्या 21 से उद्धरण

अनुभाग	उद्धरण	शीर्षक
धारा 2 का खंड (ट)	(ट) "निधि" से अभिप्राय है, धारा 30 निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की निधि;	परिभाषाएं
धारा 2 का खंड (ण)	(ण) "दूरस्थ कैंपस" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का ऐसा कैंपस, जो इसके द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर किसी स्थान पर स्थापित किया जाए;	परिभाषाएं
धारा 3 की उप–धारा (2) का परन्तुक	विश्वविद्यालय का मुख्यालय, जिला सोनीपत में राई में होगा और यह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है और अनुरक्षण कर सकता है, जो यह उचित समझे : परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य के बाहर भी दूरस्थ कैंपस और अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है।	विश्वविद्यालय की स्थापना
धारा 5 की उप–धारा (2)	विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण हरियाणा राज्य में और राज्य के बाहर दूरस्थ कैंपसों और अध्ययन केन्द्रों पर इसकी अधिकारिता होगी।	विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य